रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2005/आषाढ़ 8, 1927
No. 286] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2005/ASADHA 8, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2005

सा.का.नि. 428(अ).—कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002, (2003 का 13) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 179 (अ) तारीख 16 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3 (i), तारीख 16 मार्च, 2005 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा देने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 16 मार्च, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ।

और उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से ऐसे प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) अभिप्रेत है ।

(ख) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 6 के अधीन किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(ग) "धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(घ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

3. वेतन - किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में वेतन का संदाय किया जाएगा ।

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की दशा में, जो जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य रूप से सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हो, की सकल रकम घटा दी जाएगी ।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता - किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी दर से महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं ।

5. छुट्टी - किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी छुट्टी की बाबत अपने अधिकारों से संबंधित विषयों के बारे में केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होगा ।

6. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी - राष्ट्रपति, ऐसे अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के लिए सक्षम छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी होंगे ।

7. पेंशन और भविष्य निधि - (1) केंद्रीय सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी के वेतनमान में, केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम पीठासीन अधिकारी को वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी को लागू होते हैं ।

IndiaCode

(2) उस दशा में जहां सेवारत न्यायाधीश या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है, वहां उसके द्वारा, यथास्थिति, ऐसे न्यायाधीश या अधिकारी के रूप में की गई सेवा उसके पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के लिए गणना में ली जाएगी और यदि वह उसको लागू नियमों के अधीन न्यायाधीश या अधिकारी के रूप में सेवा के वर्षों को जोड़े जाने के फायदे का हकदार था तो उस दशा में वह पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति होने पर ऐसे फायदों का भी हकदार होगा ।

8. यात्रा भत्ते - किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी जब दौरे पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए या अधिकरण से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक चीजबस्त के परिवहन और वैसी ही अन्य बातों के संबंध में उसी मापमान और उन्हीं दरों का हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारियों को लागू हैं ।

9. छुट्टी यात्रा रियायत - किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उन्हीं दरों और उसी मापमान पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारियों को लागू हैं ।

10. वास सुविधा - (1) किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, साधारण पूल वास-सुविधा से, उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार के ऐसे समूह ''क'' अधिकारी को अनुज्ञेय टाइप के सरकारी निवास का, जो उस स्थान पर कार्य कर रहा है जहां ऐसे अधिकरण अवस्थित हैं, और समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट दरों पर अनुज्ञप्ति फीस का, संदाय करने पर उपयोग करने का पात्र होगा ।

(2) जहां किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अनुज्ञेय अवधि से परे सरकारी निवास का अधिभोग करता है वहां वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराया संदत्त करने का दायी होगा और वह केंद्रीय सरकार के सेवकों को लागू नियमों के अनुसार बेदखल किए जाने का दायी होगा ।

(3) जहां किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, उप नियम (1) के अधीन सरकारी निवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है या उपभोग नहीं करता है वहां वह उतने मकान किराया भत्ते का हकदार होगा, जो समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे केंद्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

11. चिकित्सीय उपचार की सुविधाएं - किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी केंद्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 में यथा उपबन्धित सुविधाओं का हकदार होगा ।

12. सवारी की सुविधा - किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भारत सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार सरकारी और निजी प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए स्टाफ कार की सुविधा का हकदार होगा ।

13. नियुक्ति के लिए आयु सीमा - ऐसा व्यक्ति जिसने नियुक्ति से पूर्व साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है, किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

14. अवशिष्टीय उपबंध - किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की सेवा की शर्तों से संबंधित वे मामले, जिनकी बाबत इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी का आबद्धकर होगा ।

15 शिथिल करने की शक्ति - केंद्रीय सरकार को, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[फा. सं. 11014/1/96-पी एण्ड एम (जि. V)]
धनेन्द्र कुमार, सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2005

G.S.R. 428(E).—Whereas the draft of certain rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section3(i) dated 16th March,2005 with the notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways number G.S.R.179(E) dated 16th March,2005, inviting objection or suggestion from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the said notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

IndiaCode

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 16th March,2005

And whereas no objection or suggestion have been received from any person with respect to such draft rules within the time period specified in the said notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and section 22 of the General Clauses Act,1897(10of 1897), the Central Government hereby makes the following rules namely :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the National Highways Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of final publication in the Official Gazette.

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003);

(b) "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of a Tribunal under section 6;

(c) "section" means a section of the Act;

(d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF PRESIDING OFFICER IN THE NATIONAL HIGHWAY TRIBUNAL

IndiaCode

3. Salary- The Presiding Officer of a Tribunal shall be paid a salary in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400:

Provided that in the case of an appointment of a person as a Presiding Officer, who has retired as a District Judge, or who has retired from service, under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance- The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

5. Leave - The Presiding Officer of a Tribunal shall be governed in matters relating to his rights in respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

6. Leave sanctioning authority - The President of India shall be the Competent Leave Sanctioning authority to the Presiding Officer of such Tribunal.

7. Pension and Provident Fund - (1) The rules made by the Central Government to regulate the salary, allowances, Provident Fund and other conditions of service of an officer of the

Central Government in the scale of pay of a Presiding Officer shall be applicable to the Presiding Officer as they apply to such officer of the Central Government.

(2) In case a serving Judge or an officer of the Central Government or State Government is appointed on the post of Presiding Officer, the service rendered by him as such Judge or officer, as the case may be, shall be counted for the purposes of his pension, gratuity and other retirement benefits and in case he was entitled for the benefit of added years of service as such Judge or officer under the rules applicable to him, he shall also be entitled for such benefit on his appointment as a Presiding Officer.

8. Travelling allowances- The Presiding Officer of a Tribunal while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the traveling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. Leave travel concession- The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scale as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

10. Accommodation- (1) Every person appointed as a Presiding Officer of a Tribunal shall be eligible, subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government who is working at the place where such Tribunal is located and drawing an equivalent pay on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the Presiding Officer of a Tribunal occupies an official residence beyond permissible period, he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be and he shall be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government Servants.

(3) Where the Presiding Officer of a Tribunal is not provided with or does not avail of facility of official residence under sub-rule (1), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

11. Facilities for medical treatment- The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules, 1944.

12. Facility of Conveyance – The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the staff car rules of the Government of India.

13. Age limit for appointment – The person who has completed the age of sixty years before the appointment shall not be appointed as a Presiding Officer of a Tribunal.

14. Residuary provision - Matters relating to the conditions of services of the Presiding Officer of a Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Presiding Officer.

15. Power to relax-The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

IndiaCode

[F. No. 11014/1/96-P&M (Vol. V]
DHANENDRA KUMAR, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2005

सा.का.नि. 429(अ).— कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002, (2003 का 13) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 178 (अ) तारीख 16 मार्च, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग 2, खंड 3 (i), तारीख 16 मार्च, 2005 में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा देने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे ।

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां तारीख 16 मार्च, 2005 की जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ।

और उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से ऐसे प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 और साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ।

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) अभिप्रेत है ।

(ख) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

3. अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन - किसी अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रवर्ग और उनके वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. सेवा शर्तें - अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यग्रहण की अविध, वेतन, भविष्य निधि, अधिवार्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, साधारण पूल से निवासीय आवास, चिकित्सीय परिचर सुविधाएं, आचरण, अनुशासनिक मामले और सेवा की अन्य शर्तें ऐसे अन्य नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो केंद्रीय सरकार के, यथास्थिति, समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ" के अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर लागू हैं, और जो तत्समान वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं ।

अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

क्रम सं.	पद का नाम	वेतनमान
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रार	12000-375-16500 रु.
2.	रीडर	6500-200-10500 रु.
3.	आशुलिपिक	4000-100-6000 रु.
4.	चपरासी	2550-55-2660-60-3200 रु.

[फा. सं. 11014/1/96-पी एण्ड एम (जि. V)]

धनेन्द्र कुमार, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2005

G.S.R. 429(E).— Whereas the draft of certain rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section3(i) dated 16th March,2005 with the notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways number G.S.R.178(E) dated 16th March,2005, inviting objection or suggestion from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the said notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 16th March,2005

And whereas no objection or suggestion have been received from any person with respect to such draft rules within the time period specified in the said notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and section 22 of the General Clauses Act,1897(10of 1897), the Central Government hereby makes the following rules namely :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement-(1) These rules may be called the National Highways Tribunal (Salaries, allowances and other conditions of service of the officers and employees) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of final publication in the Official Gazette.

2. Definitions- In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003);

1945 GI/05-3

IndiaCode

(b) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE OF THE OFFICERS AND EMPLOYEES OF THE NATIONAL HIGHWAY TRIBUNAL

3. Salary of the Officers and Employees of the Tribunal- The categories of officers and employees of a Tribunal and the scales of pay thereof shall be as specified in the Schedule appended to these rules.

4. Conditions of service- The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, residential accommodation from the General Pool, medical attendance facilities, conduct, disciplinary matters and other conditions of service shall be regulated in accordance with such other rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D', as the case may be, and drawing the corresponding scales of pay.

IndiaCode

SCHEDULE

[See rule 3]

Sl.No.	Name of the Post	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)
1.	Registrar	Rs. 12000-375-16500
2.	Reader	Rs.6500-200-10500
3.	Stenographer	Rs.4000-100-6000
4.	Peon	Rs. 2550-55-2660-60-3200

[F. No. 11014/1/96-P&M (Vol. V]

DHANENDRA KUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.